जालोर विकास समिति, जालोर

जालोर महोत्सव–2025

टेण्डर सूचना

जालोर महोत्सव – 2025 का आयोजन किया जा रहा है । हर वर्ष की भॉति जिला मुख्यालय पर जालोर स्टेडियम प्रागण में विभिन्न कार्यक्रम होगें। आयोजन कमेटी द्वारा निम्न व्यवस्था के लिए टेण्डर आमंत्रित किये जाते हैंः–

क्र.सं	कार्य का नाम	अवधि
01	मेला कार्य जिसमें विभिन्न दुकाने, शॉपिंग स्टॉल्स, झुले अन्य मनोरंजन आइटम इत्यादि एवं फुड कोर्ट (खान पान आदि) (चाट, साउथ इंडियन, राजस्थानी, खाना व व्यंजन आदि)	दि. 14 से 23 फरवरी, 2025

नियम व शर्तेः–

1. उपर्युक्त दर्शाये कार्य में निविदादाता द्वारा आयोजन कमेटी को टेक्स के अलावा शुद्ध देय राशि का उल्लेख किया जाना होगा।
2. टेण्डर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 23 जनवरी, 2025 गुरूवार को दोपहर 3 बजे तक होगी। टेण्डर सीलबंद लिफाफे में निम्न पते पर पहुँच जाना चाहिएः– मुख्य समन्वयक, जालोर महोत्सव, 2025, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर परिसर, जालोर 343001। टेण्डर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, जालोर में इसी दिन सांय 5 पी.एम. बजे निविदादाताओं के समक्ष खोले जाएगें। आवश्यक होने पर नेगोसिएसन करवाया जा सकता हैं।
3. केन्द्र एवं राज्य सरकार की नवीनतम गाइडलाइन का अक्षरशः पालन किया जाना अनिवार्य है।
4. टेण्डर प्रपत्र एवं संबधित कार्य की सम्पूर्ण जानकारी के लिए श्री कानाराम परमार मोबाइल नम्बर 9414243885 से सम्पर्क करें।

समन्वयक
जालोर महोत्सव–2025

कोषाध्यक्ष
जालोर विकास समिति

मुख्य समन्वयक
जालोर महोत्सव 2025

पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन एवं जालोर विकास समिति

के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित

''जालोर महोत्सव–2025''

(15 फरवरी से 17 फरवरी 2025)

बिड शर्ते

स्टेड़ियम प्रांगण में विभिन्न शॉपिंग दुकाने, शॉपिंग स्टॉल्स –

शॉपिंग मेले में स्वीकृत बोलीदाता को प्रमुखतः घर गृहस्थी की उपयोगी एवं कलात्मक वस्तुएं, फर्निचर, कारपेट, हेण्डलूम सामान, होजरी कपडे, आर्टिफिशियल ज्वैलरी, जूते, चप्पल, बेल्ट, पर्स, चश्मा, घडी, हैण्डबेग, बच्चों के खिलोने, स्पोटर्स आईटम, किचन उपकरण, होम डेकोरेशन इत्यादि की विभिन्न प्रकार की 250 से 300 दुकाने लगानी होगी। किसी भी प्रकार का गैर कानूनी वस्तु का बेचान अथवा व्यापार पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित होगा।

फूड कोर्ट –

फूड कोर्ट में बोलीदाता को विभिन्न प्रकार के व्यंजन जिसमें शुद्ध शाकाहारी साउथ इण्डियन, पंजाबी, राजस्थानी, चाइनीज, स्नैक्स आइसक्रीम एवं शुद्ध पेय पदार्थ इत्यादि की स्टॉल लगानी होगी। खाद्य पदार्थ लगाने वाली स्टालो को खाद्य विभाग से संबंधित सभी प्रकार की अनुमति/लाईसेन्स लेना अनिवार्य होगा एवं खाद्य पदार्थो की शुद्धता हेतु पूर्णतया बीडदाता उत्तरदायी होगा।

झूले एवं अन्य मनोरंजन के संसाधन –

झूले एवं अन्य मनोरंजन के संसाधन में बोलीदाता को विभिन्न प्रकार के झूलों में बच्चों के लिए बोटिंग, आसमान छुते झूले, रोलर कोस्टर सहित सुरक्षित झूले लगाने होगें।

बिड की शर्ते :–

1. बोलीदाता को ''शॉपिंग केम्पस'' के लिए ले आउट स्थल आयोजन समिति द्वारा निर्धारित करके दिया जाएगा। मेला आयोजन 14.02.2025 से 23.02.2025 तक किया जाएगा। मेला प्रबंधन के लिए स्टेड़ियम मैदान की उपलब्धता 06.02.2025 से करवा दी जाएगी।

2. बोलीदाता को स्टेड़ियम के गेट संख्या 2 के अन्दर की तरफ 10' गुणा 15' साईज की कुल 8 टेंट से निर्मितशुदा दुकानें मय विद्युत कनेक्शन निर्धारित स्थान पर आयोजन समिति को निःशुल्क उपलब्ध करवानी होगी।

3. बोलीदाता द्वारा दी गई दर (सभी वर्गीकृत आईटमों की दरों को सम्मिलित करते हुए) एकमुश्त देनी होगी, किन्तु इसमें टैक्स सम्मिलित नही हो। अर्थात् टैक्सेज चुकाने की सारी जवाबदेही अतिरिक्त रूप से बोलीदाता की रहेगी।
4. उपर्युक्त दर्शाये कार्य में बोलीदाता द्वारा आयोजन कमेटी को टेक्स के अलावा शुद्ध देय राशि का उल्लेख किया जाना होगा। कार्य हेतु विद्युत एवं जल व्यवस्था बोलीदाता स्वयं की होगी।
5. बोलीदाता को बिड के साथ रू. 50000/— (रूपये पचास हजार मात्र) का **"जालोर विकास समिति"** के नाम से जालोर पर देय डिमाण्ड ड्राफ्ट सिक्यूरिटी राशि के रूप में जमा कराना होगा। बोलीदाता के पक्ष में बिड स्वीकृत होने पर स्वीकृत बिड के मूल्य का 25% अगले दो कार्य दिवस में भुगतान करना होगा। शेष 25% 04 फरवरी, 2025 तक, 25: राशि 10 फरवरी, 2025 तक एवं शेष राशि 14 फरवरी, 2025 तक देनी होगी। राशि निश्चित दिन तक जमा नहीं कराये जाने पर बिड निरस्त का समस्त अधिकार बिड क्रय समिति के पास सुरक्षित रहेगें एवं बिड निरस्त करने पर जमा राशि निरस्त की जा सकेगी।
6. उच्चतम राशि के बोलीदाता की बिड का अनुमोदित होते ही जमा करवाई प्रथम 25 प्रतिशत राशि के बाद शेष राशि में से 25 प्रतिशत राशि 04.02.2025 तक जमा नही करवा पाने की स्थिति में उस निविदा को निरस्त कर जमा करवाई 1/4 राशि को जब्त करते हुए अगली उच्च दर वाली बिड (L-2) को अनुमोदित कर दिया जाएगा। स्वीकृत बोलीदाता को उपर्युक्त अनुसार राशि निशिचित तिथी पर चुकानी होगी। भुगतान में चुक होने पर बिड को निरस्त करने का अधिकार बिड क्रय समिति के पास सुरक्षित रहेगा। प्रथम स्वीकृत बिड निरस्त होने पर द्वितीय स्वीकृत बिड को कार्य आदेश प्रदान किया जा सकेगा। प्रथम एवं द्वितीय बिड के अन्तर की राशि प्रथम स्वीकृत बोलीदाता से भरपाई की जायेगी जिस हेतू वह बाध्य होगा।
7. बोलीदाता को उक्त अवधि के लिए अस्थाई विद्युत कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा एवं अपने स्वयं की D.G. Set की व्यवस्था करनी होगी।

8. बोलीदाता को स्वयं के स्तर पर सुरक्षा नियमों की पालना करनी होगी एवं सुरक्षाकर्मियों और सुरक्षा उपकरणों (अग्निशमन यंत्र सहित अन्य) माकूल व्यवस्था करनी होगी।
9. बोलीदाता "शॉपिंग केम्पस" में वैरायटी शो, जुंआ, चकरी, घातक श्रेणी के प्रदर्शन एवं ऐसे आयोजन, जो आदर्श मेले की श्रेणी में विधि मान्य नहीं है उन्हें सम्मिलित करने की अनुमति नहीं होगी।
10. बोलीदाता को आंवटित परिसर में मेले, खाद्य पदार्थ एवं झूलों इत्यादि में सुरक्षा हेतू सम्पूर्ण जिम्मेवारी बोलीदाता की होगी। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में संबंधित पक्षकारों को क्षतिपूर्ति की बाध्यता रहेगी।
11. बोलीदाता को "शॉपिंग केम्पस" को लेकर शासन द्वारा प्रवर्तित सभी कानूनों एवं कोविड गाईडलाइन की पालना करनी आवश्यक होगी।
12. अनुमोदित बोलीदाता एवं आयोजन समिति के बीच कार्यक्रम क्रियान्वयन के किसी बिंदु को लेकर कोई विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न होती है तो श्रीमान् जिला कलेक्टर जालोर का निर्णय अंतिम रूप से मान्य रहेगा।
13. बिना कारण बताए अधिकतम बोलीदाता की बिड निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार समिति में निहित रहेगा।
14. मेला कार्य एवं फूड कोर्ट के बोलीदाता को मेला समाप्ति पश्चात स्टेडियम प्रांगण की सफाई के मानदण्ड की सख्ती से पालना करनी होगी। मेला समाप्ति पश्चात ग्राउण्ड सफाई करवाकर स्टेडियम प्रभारी से संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा अन्यथा सिक्यूरिटी राशि जब्त कर दी जायेगी।
15. फूड कोर्ट के लिए निश्चित स्थानों पर फूड स्टॉल लगानी होगी। फूड के लिए स्वास्थ्य संबंधी सभी वैधानिक स्वास्थ्य एवं गुणवता के मानदण्ड पूरे करने अनिवार्य हैं। खाद्य पदार्थ पकाने या बनाने में ईधन प्रयोग के लिए पूर्णतया वैधानिक नियमों की पालना करनी अनिवार्य होगी। किसी भी प्रकार के एडल्टरेशन इत्यादि के लिए बोलीदाता जिम्मेवार होगा। बोलीदाता द्वारा लगाई गई स्टॉलों में गुणवतापूर्ण वैरायटी नहीं होने पर समिति द्वारा अलग से फूड स्टॉल लगवाई जा सकती हैं।

16. अनुमोदित बोलीदाता द्वारा NJS रू. 500/— पर संविदा निष्पादन पश्चात ही कार्य अनुमति प्रदान की जा सकेगी।

17. आकस्मिक परिस्थितियों अथवा राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना में मेला निरस्त करने का अधिकार श्रीमान् जिला कलक्टर, जालोर के पास सुरक्षित रहेगा। बोलीदाता इस हेतू किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकेगा।

18. बोलीदाता को फर्म एवं फर्म के समस्त भागीदारो के पेन कार्ड संख्या एवं आधार कार्ड की स्व– प्रमाणित छाया प्रति बिड के साथ सलंग्न करनी होगी।

19. न्यूनतम बिड राशि प्राप्त नहीं होने की दशा में बिड प्रक्रिया निरस्त करने का अधिकार बिड क्रय समिति के पास सुरक्षित रहेगा अथवा बिड तिथी को आगे बढाई जाने के समस्त अधिकार निहित रहेगें।

20. बोलीदाता अपने बिड पूर्णतया हस्ताक्षरसुदा प्रस्तुत करनी होगी। बिना हस्ताक्षर, डाक व तार एवं देरी से प्राप्त बिड पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

21. आकस्मिक परिस्थितियों अथवा कोविड महामारी के मध्यनजर सरकारी गाइडलाइन की पालना में मेला निरस्त/संशोधन करने का अधिकार श्रीमान् जिला कलक्टर, जालोर के पास सुरक्षित रहेगा । निविदादाता इस हेतू किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकेगा ।

22. किसी भी विधिक विवाद की स्थिति में न्याय का क्षेत्राधिकार जालोर रहेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

पताः...

....

....

मोबाईल नं0 ....

बिड शर्तो के प्रति सहमति विषयक प्रमाण–पत्र

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता हैं कि बोलीदाता होने के नाते बिड की सम्पूर्ण शर्तो का विगतवार अध्ययन मेरे द्वारा पूर्णतया होस हवास में बिना नशे पते के कर दिया गया हैं तथा पूर्णतया समझ लिया हैं व मेरी सहमति देता हूँ। इन शर्तो की पालना हेतू बोलीदाता वचन बद्ध रहेगा ।

दिनांक :

बोलीदाता के हस्ताक्षर

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दर

बोलीदाता का नाम	बिड के लिए प्रस्तुत राशि (टेक्स के अतिरिक्त)
पूरा पता	अंको में ....
....	शब्दों में ....
मोबाइल नम्बर	....
ई–मेल	

<u>अमानत राशि का ब्यौरा :</u>

डी.डी./बैंकर्स चैक नम्बर :

दिनांक :

राशि :

बैंक का नाम : बोलीदाता के हस्ताक्षर

आधार कार्ड व पेन कार्ड की प्रति सलंग्न हैं।